उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0–13/2023–24

अवध किशोर सिंह

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 5/1/24

प्रविष्टि बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कोकरा खास के अन्तर्गत दाग नं0–129 रकवा 07–09–12 धुर जमीन की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–231/1969–70 के आदेश दिनांक–18.06.1970 के द्वारा आवेदक के साथ की गयी है एवं उक्त बंदोवस्त की गयी जमीन का लगान निर्धारण भी किया गया है। लेकिन जाँच अधिकारी के गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाग नं0–129 का जमाबंदी सं0–29 अंकित किया गया। जबकि दाग नं0–129 का जमाबंदी सं0–42 है। उन्होंने मौजा–कोकरा खास नं0–387 के दाग नं0–129 के जमाबंदी सं0 का उल्लेख करने में हुई त्रुटि को सुधारने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश देने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कोकरा खास के दाग नं0–129 के अन्तर्गत रकवा 07–09–12 धुर जमीन की बंदोवस्ती आवेदक के साथ की गयी है। यह बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा बंदोवस्ती केश नं0–231/1969–70 के आदेश दिनांक–18.06.1970 के द्वारा की गयी है। आवेदक ने उक्त बंदोवस्ती में जमाबंदी सं0 के उल्लेख में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए अनुरोध किया है। जबकि यह त्रुटि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के द्वारा हुई है। ऐसी स्थिति में आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आवेदन देना चाहिए था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रविष्टि बिन्दु पर आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by Zeeshan Qamar
Date: 2024.03.14 13:02:41 +05:30
Location: 192.168.1.55

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।
5/1/24

उपायुक्त
गोड्डा।
5/1/24